भारत सरकार
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3239
(उत्तर देने की तारीख 09.08.2023)

भारत को ड्रोन हब बनाना

†3239. श्रीमती सुमलता अम्बरीश:
श्री डी.के. सुरेश:
श्री नलीन कुमार कटील:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत में संभावित ड्रोन लीडर बनने के लिए सभी आवश्यक गुण मौजूद हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार निकट भविष्य में भारत को एक अग्रणी ड्रोन हब बनाने की इच्छुक है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर
माननीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क),(ख)तथा (ग) जी हां। सरकार ने वर्ष 2030 तक भारत को वैश्विक ड्रोन हब बनाने के लिए कई सुधार संबंधी उपाय किए हैं। विवरण इस प्रकार हैं:

क) 25 अगस्त 2021 को उदारीकृत ड्रोन नियमावली, 2021 अधिसूचित की गयी है;
ख) 24 सितंबर 2021 को ड्रोन एयरस्पेस मैप प्रकाशित किया गया जिसमें 400 फीट तक उड़ान भरने वाले ड्रोनों के लिए लगभग 90% भारतीय हवाई क्षेत्र हरित क्षेत्र के रूप में खोल दिया गया है;
ग) 30 सितंबर 2021 को ड्रोनों के लिए प्रोडक्शन–लिंक्ड इंसेन्टिव (पीएलआई) स्कीम अधिसूचित की गई है;
घ) 24 अक्टूबर 2021 को यूएएस ट्रैफिक मैनेजमेंट (यूटीएम) पॉलिसी फ्रेमवर्क प्रकाशित किया गया है;
ड़) 22 जनवरी 2022 को केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि ड्रोन की खरीद के लिए मौद्रिक अनुदान कार्यक्रम की घोषणा की गई;
च) ड्रोन नियमावली, 2021 के तहत सभी आवेदन पत्र 26 जनवरी 2022 को डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन कर दिए गए हैं;
छ) 26 जनवरी 2022 को ड्रोन सर्टिफिकेशन स्कीम को अधिसूचित किया गया है;

ज) 1 फरवरी 2022 को केंद्रीय बजट के भाग के रूप में ड्रोन स्टार्ट–अप्स का समर्थन करने और ड्रोन–एज–ए–सर्विस (DrAAS) को बढ़ावा देने के लिए मिशन 'ड्रोन शक्ति' की घोषणा की गई है;

झ) 9 फरवरी 2022 को ड्रोन आयात नीति अधिसूचित की गयी है, जिसमें विदेशी ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है और ड्रोन घटकों के आयात को मुक्त किया गया है;

ञ) 11 फरवरी 2022 को ड्रोन पायलट लाइसेंस की आवश्यकता को समाप्त करते हुए ड्रोन (संशोधन) नियम, 2022 अधिसूचित किया गया है । अब डीजीसीए–प्राधिकृत आरपीटीओ द्वारा एक रिमोट पायलट प्रमाणपत्र जारी किया जाता है जो ड्रोन संचालित करने के लिए रिमोट पायलट के लिए पर्याप्त है; और

ट) 25 जुलाई 2023 तक, देश भर में 63 रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन (आरपीटीओ) ड्रोन प्रशिक्षण/कौशल प्रदान करने के लिए डीजीसीए द्वारा प्राधिकृत हैं।

दिनांक 25 अगस्त, 2021 को अधिसूचित ड्रोन नियमावली, 2021 ड्रोन के नागरिक या व्यावसायिक उपयोग के लिए आवश्यक नियामक ढांचा उपलब्ध कराती है। इन नियमों में विभिन्न पहलुओं जैसे टाइप सर्टिफिकेशन, ड्रोन का पंजीकरण और संचालन, हवाई क्षेत्र प्रतिबंध, ड्रोन का अनुसंधान, विकास और परीक्षण, प्रशिक्षण और लाइसेंसिंग, अपराध और दंड आदि सम्मिलित हैं । ड्रोन नियमावली, 2021 की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) अनुसंधान, विकास और परीक्षण उद्देश्यों के लिए बने ड्रोन को छोड़कर, प्रत्येक ड्रोन पंजीकृत होना आवश्यक है और उसकी एक विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) भी होनी चाहिए।

(ii) समग्र हवाई क्षेत्र को अलग करने वाला देश का हवाई क्षेत्र मानचित्र लाल, पीले और हरे क्षेत्रों में डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। लाल और पीले क्षेत्रों में ड्रोन का संचालन क्रमशः केंद्र सरकार और संबंधित एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) अथॉरिटी के अनुमोदनाधीन है। हरे क्षेत्रों में ड्रोन के संचालन के लिए किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

(iii) ड्रोन के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा जारी किया गया अनिवार्य टाइप सर्टिफिकेशन होना आवश्यक है । हालाँकि, अनुसंधान और मनोरंजन उद्देश्यों के लिए बनाए गए नैनो ड्रोन (कुल वजन 250 ग्राम तक) और मॉडल ड्रोन के मामले में टाइप सर्टिफिकेश्न की आवश्यकता नहीं होती है।

(iv) कोई भी पंजीकरण या लाइसेंस जारी करने के लिए ड्रोन के मालिक और ऑपरेटरों को अपने भारतीय पासपोर्ट नंबर सहित आवश्यक व्यक्तिगत विवरण आदि प्रस्तुत करना आवश्यक है।

(v) रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन (आरपीटीओ) का प्राधिकार डीजीसीए द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर किया जाएगा।

****